तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/6369/2006/उदयपुर** **सुगनाडी व अन्य बनाम हुडकी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल पीठ</u>
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–10.09.2025

1– यह निगरानी न्यायालय उपजिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2005 में पारित आदेश दिनांक 26–06–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– विद्वान अधिवक्ता निगराकार की बहस निगरानी पर सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया है एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निगराधीन आदेश पारित किया है। अनिगराकार/वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराधीन निर्णय में पूर्ण रूप से विधि विपरीत फाईण्डिंग दी गयी है कि प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं फरमाया गया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान प्रोसिजरल लॉ है एवं किसी भी विधि के स्वरूप बाधित वाद अगर दायर किया जाता है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम भी शामिल है के प्रावधान अगर वाद को दायर करने के लिए बाधित है तो उस सम्बंध में जा0दी0 के प्रावधान जो कि प्रासिजरल लॉ है को इस्तेमाल किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह तो मान लिया गया कि माजूदा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगे परंतु इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया कि उत्तराधिकार के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा तो वाद के पक्षकार किस उत्तराधिकार से गवर्न होगें। मौजूदा प्रकरण में वाद के पक्षकार पुराने हिन्दु लॉ से गवर्न होते है जिसमें पुत्री को पिता की सम्पत्ति में भाई के रहते हुए कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है । जब कोई वाद स्पष्ट रूप से विधि बाधित है एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसा वाद नहीं चल सकता इस कारण सम्पूर्ण वाद की ट्राईल किया जाना आवश्यक नहीं है एवं पक्षकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गवर्न नहीं है, क्योंकि वे स्वयं वाद में अपने आपको मीणा जाति का बताते हुए आ रहे है इस कारण स्वयंवादी की प्लीडिंग से ही वाद बाधित है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को जवाबदावा प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाद स्वयं विधि द्वारा बाधित है और इसका निस्तारण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर वाद के आरंभिक अवस्था में किया जा सकता है। निगराधीन निर्णय में यह माना गया है कि चूंकि प्रकरण घोषणा का है एवं वादीया द्वारा वारिस होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में साक्ष्य सबूतों के उपरांत भी दावे पर विचारण कर निर्णय किया जाना उचित होगा। जबकि मौजूदा प्रकरण में इस स्थिति से कोई विभेद नहीं है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/6369/2006/उदयपुर** **सुगनाडी व अन्य बनाम हुडकी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादीया दिवंगत खातेदार की पुत्री है परंतु वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के परंतुक में आने के कारण विवादग्रस्त आराजीयात में अपना कोई हक व अधिकार नहीं रखती है। इस कारण दिवंगत खातेदार के वारिस होने के आधार पर उसे कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं मिलता। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि साक्ष्य सबूतों के उपरांत ही दावे में विचारण कर निर्णय किया जावेगा जबकि मौजूदा प्रकरण में स्थिति ऐसी नहीं है उक्त प्रकरण स्पष्ट रूप से बार्ड बाई लॉ है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—06—2006 निरस्त फरमाया जाकर अनिगराकारगण का वाद जो परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है उसे निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावें। 4— हमने अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया। अनिगराकार हुडकी पिता लालू ने न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा जिला उदयपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 05—04—2006 को प्रतिवादीगण निगराकार ने न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा जिला उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रस्तुत प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण उक्त प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का कथन किया। दिनांक 23—05—2006 को अनिगराकार हुडकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात् न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा जिला उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 26—06—2006 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—06—2006 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रतिवादी निगराकार द्वारा अपनी निगरानी में जो आधार लिये गये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए केवल दावे में किये गये अभिवचनों का ही अवलोकन किया जा सकता है। वादकारण का प्रश्न साक्ष्य का प्रश्न होने से इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। वादकारण Mixed Question of facts and law होता है जो साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है । कॉज ऑफ एक्सन दावे में मौजूद है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। 5— परिणामतः निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26—06—2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	